न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 130 / 2023

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. रेखादेवी पत्नि हरचन्दराम उम्र 46 वर्ष जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डांगवा तहसील सिणधरी
2. किशोर कुमार खत्री पुत्र छगनलाल उम्र 36 वर्ष जाति खत्री निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी
3. विशनाराम पुत्र कालूराम उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी

विप्रार्थीगण:

1. मोहनसिंह पुत्र हेमदान उम्र 52 वर्ष
2. सोनदान पुत्र पारसदान उम्र 56 वर्ष जातियान चारण निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी
3. तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 1 व 2 एकतरफा।

आदेश

दिनांक— 16.01.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 34 रकबा 0.5501 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 34 / 18 रकबा 0.2751 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुऐ है जो मूल खसरा संख्या 34 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुऐ है। उक्त विभाजन से प्रार्थीगण का खसरा संख्या 34 तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 34 / 18 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई जो ऑनलाईन सेग्रीकेशन के दौरान लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुऐ है जो राजस्व रेकर्ड में अंकित स्थान से बिलकूल विपरित स्थान पर है अर्थात मौजूदा तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की ढाणी, टांके, विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 [illegible] भूमि [illegible] अन्दर तरमीम कर दी गई है जबकि भौतिक रूप से उक्त रहवासी [illegible] आदि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विद्यमान है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम [illegible] मौके की स्थिति में भारी [illegible] होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है। कि इस प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कर दी गई है एवं प्रार्थीगण की तरमीम विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के कब्जा काश्त की भूमि में कर दी है, जबकि तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:49 IST
Reason: SelfAttested

...ण्ड अधिकारी

कब्जा काश्त के अनुसार होनी थी जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई अनुसार तरमीम संलग्न नजरी नक्शानुसार दुरूस्त होनी चाहिए। वर्तमान में मौके की स्थिति के आधार पर तरमीम कब्जानुसार नहीं होने से दोनों पक्षकारान के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। अत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 34 रकबा 0.5501 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 34/18 रकबा 0.2751 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की लट्ठा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 34 रकबा 0.5501 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 34/18 रकबा 0.2751 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुऐ है जो मूल खसरा संख्या 34 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुऐ है। उक्त विभाजन से प्रार्थीगण का खसरा संख्या 34 तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 34/18 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई जो ऑनलाईन सेग्रीकेशन के दौरान लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुऐ है जो राजस्व रेकर्ड में अंकित स्थान से बिलकूल विपरित स्थान पर है अर्थात मौजूदा तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की ढाणी, टांके, विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की भूमि के अन्दर तरमीम कर दी गई है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम व मौके की स्थिति में भारी भिन्नता होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है। कि इस प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कर दी गई है एवं प्रार्थीगण की तरमीम विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के कब्जा काश्त की भूमि में कर दी है, जबकि तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार होनी थी जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई अनुसार तरमीम संलग्न नजरी नक्शानुसार दुरूस्त होनी चाहिए। बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:49 IST
Reason: SelfAttested

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 34 रकबा 0.5501 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 34/18 रकबा 0.2751 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुऐ है जो मूल खसरा संख्या 34 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुऐ है। उक्त विभाजन से प्रार्थीगण का खसरा संख्या 34 तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 34/18 कायम होकर लट्ठा ट्रेस में पृथक तरमीम की गई जो ऑनलाईन सेगीकेशन के दौरान लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुऐ है जो राजस्व रेकर्ड में अंकित स्थान से बिलकूल विपरित स्थान पर है। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 15.01.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम तथा विभक्त खसरा नम्बरान् एवं उनके रकबे का सही अंकन नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के मूल खेत खसरा नम्बर 34 से विभक्त होकर कायम हुए नये खसरा संख्या नम्बर 34 व 34/18 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 15.01.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करते हुए तद्नुसार खसरे एवं रकबे का सही अंकन किये जाने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:49 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी